**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN**
**BENCH AT JAIPUR**

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 9038/2026
URN: CRLMB / 16568U / 2026

Jetaram Vishnoi S/o Shri Shankraram, Aged About 59 Years, R/o Bhed Police Station Panchodi, District Nagaur (Rajasthan) (At Present Accused Petitioner Confined Sub Jail Bhawanimandi).

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through PP

----Respondent

---

| | | |
|---|---|---|
| For Petitioner(s) | : | Mr. Majhar Hussain, Adv. |
| For Respondent(s) | : | Mr. Amit Kumar Gupta, Addl. GA |

---

**HON'BLE MR. JUSTICE BHUWAN GOYAL**

**Order**

**14/07/2026**

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु यह जमानत प्रार्थना पत्र भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 483 के अन्तर्गत पुलिस थाना– सुनेल, जिला– झालावाड़ में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या– 08/2026 अपराध अन्तर्गत धारा 8/15, 8/29 स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम में पेश किया गया है।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान् अधिवक्ता का तर्क है कि प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त पूर्णतया निर्दोष है, उसे प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। उससे इस प्रकरण में न तो कोई बरामदगी हुई है, न ही उसकी अन्य सहअभियुक्तगण से बातचीत होने के संबंध में कोई कॉल डिटेल्स प्रस्तुत हुई हैं। उनका यह भी कथन है कि प्रकरण में अन्य सहअभियुक्त दिलीप से जो मादक पदार्थ बरामद होना बताया गया है, वह भी गैर–वाणिज्यिक मात्रा की श्रेणी का है एवं प्रकरण में सहअभियुक्तगण दिलीप एवं श्रीपाल की जमानत समकक्ष पीठ द्वारा पूर्व में ली जा चुकी है। उनका यह भी कथन है कि प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 29.05.2026 से अभिरक्षा में चल रहा है, उसके

विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत कोई मुकदमा पूर्व में दर्ज होकर विचाराधीन नहीं है। प्रकरण के अनुसंधान व विचारण में समय लगेगा। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाए।

विद्वान् लोक अभियोजक ने जमानत आवेदन का विरोध करते हुए उसे अस्वीकार करने की प्रार्थना की।

बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों एवं विद्वान् अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत तर्कों को दृष्टिगत रखते हुए मैं प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत आवेदन स्वीकार किए जाने योग्य समझता हूँ।

परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त **जेताराम विश्नोई पुत्र शंकराराम** की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी/अभियुक्त इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे तलब किया जावे, उपस्थिति हेतु पचास हजार रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र व पच्चीस–पच्चीस हजार रुपये की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां प्रस्तुत करे तथा उसकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो, तो संबंधित थानाधिकारी के माध्यम से प्रार्थी/अभियुक्त व उसके प्रतिभू के वर्तमान पते सत्यापित करने के उपरांत प्रार्थी/अभियुक्त को अविलम्ब निम्न शर्तों पर जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

शर्तः–

1. जमानत पर आजाद होने के 7 दिवस के अंतर्गत प्रार्थी/अभियुक्त अपना वर्तमान पता एवं मोबाइल नंबर, जो वह उपयोग में ले रहा है, उसका विवरण संबंधित थानाधिकारी को उपलब्ध कराएगा व संबंधित थानाधिकारी उक्त पते व मोबाइल नंबर को सत्यापित करेगा। यदि प्रार्थी/अभियुक्त अपने वर्तमान पते व मोबाइल नंबर में कोई परिवर्तन करता है, तो उसकी सूचना भी तुरंत प्रभाव से संबंधित थानाधिकारी एवं संबंधित न्यायालय को देगा।

2. प्रार्थी/अभियुक्त प्रत्येक माह की 25 तारीख को, विचारण की समाप्ति तक, संबंधित पुलिस थाना में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगा। संबंधित पुलिस थानाधिकारी को यह निर्देशित किया जाता है कि वह प्रार्थी/अभियुक्त की उपस्थिति दर्ज करते हुए नियमित रजिस्टर का संधारण करेगा एवं उक्त उपस्थिति की रिपोर्ट उसी दिन (अवकाश होने पर अगले दिन) संबंधित विचारण न्यायालय को बिना किसी विलंब के प्रेषित करेगा। यदि प्रार्थी/अभियुक्त उक्त शर्त का उल्लंघन करता है या ऐसे किसी अपराध की पुनरावृत्ति करता है या उसमें लिप्त पाया जाता है, तो संबंधित लोक अभियोजक उक्त आधार पर प्रार्थी/अभियुक्त की जमानत को निरस्त करने हेतु संबंधित न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने को स्वतंत्र रहेगा।

इस आदेश की एक प्रति संबंधित थानाधिकारी को अनुपालना हेतु भेजी जावे।

(BHUWAN GOYAL),J

MOHIT/ 18